

भारत सरकार  
GOVERNMENT OF INDIA

सत्यमेव जयते

# दिल्ली राजपत्र Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-06112025-267396  
SG-DL-E-06112025-267396असाधारण  
EXTRAORDINARY  
प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

|          |                                                       |                            |
|----------|-------------------------------------------------------|----------------------------|
| सं. 308] | दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 30, 2025/कार्तिक 8, 1947 | [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 308 |
| No. 308] | DELHI, THURSDAY, OCTOBER 30, 2025/KARTIKA 8, 1947     | [N. C. T. D. No. 308       |

भाग IV  
PART IVराष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार  
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

श्रम विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 9 अक्तूबर, 2025

फा.सं. 1/31/600/एलसी/स्था./3459-3472.— बॉयलर अधिनियम, 2025 (2025 का 12) के अध्याय III की धारा 5 की उप-धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद् द्वारा उक्त अधिनियम के अन्तर्गत वैधानिक कर्तव्यों का निर्वहन करने के उद्देश्य से, बिना किसी अतिरिक्त पारिश्रमिक के कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लिए श्री पिकेश, उप निदेशक (औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य) (तत्कालीन उप मुख्य कारखाना निरीक्षक) को मुख्य निरीक्षक, बॉयलर की शक्तियां प्रदान करते हैं।

राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल  
के आदेश से तथा उनके नाम पर,  
अशोक कुमार, सचिव-सह-आयुक्त (श्रम )

**LABOUR DEPARTMENT****NOTIFICATION**

Delhi, the 9th October, 2025

**No. F.1/31/600/LC/Estt./3459-3472.**— In exercise of the powers conferred by sub- section (4) of Section 5 of Chapter III of the Boilers Act, 2025 (12 of 2025), the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi is pleased to confer the powers of Chief Inspector of Boilers upon Sh. Pinkesh, Deputy Director (Industrial Safety and Health) (Erstwhile Deputy Chief Inspector of Factories) for the National Capital Territory of Delhi for the purpose of discharging statutory duties under the said Act, with effect from the date of assuming charge without any extra remuneration.

By Order and In the Name of the Lt. Governor

of the National Capital Territory of Delhi,

ASHOK KUMAR, Secy.-Cum-Commissioner (Labour)